रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 14, 2008—जून 20, 2008 (ज्येष्ठ 24, 1930)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14, 2008—JUNE 20, 2008 (JYAISTHA 24, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 509

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 583

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 5

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 667

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 4925

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 271

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 3621

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 133

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 509

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 583

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 5

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 667

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 4925

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... 271

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 3621

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 133

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2008

संकल्प

सं. 39021/2/1998-स्था. (ख) वाल्यूम-II--भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में दिनांक 04 नवम्बर, 1975 के अपने संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था.(ख) के तहत अधीनस्थ सेवाएं आयोग नामक एक आयोग का गठन किया था, जिसे बाद में दिनांक 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी-III (अब समूह-ग) (गैर तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु पुनः पदनामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा कर्मचारी चयन आयोग के संविधान और कार्यों में दिनांक 13.11.2003 के संकल्प संख्या 24012/8-ए/2003-स्था.(ख), दिनांक 29.9.2005 के संकल्प संख्या 24012/8-ए/2003-स्था.(ख) तथा दिनांक 07.09.2006 के संकल्प संख्या 39021/2/1998-स्था.(ख) के द्वारा संशोधन किए गए।

2. अब दिनांक 21.5.1999 के संकल्प संख्या 39018/1/98-स्था.(ख) के पैरा 2 (ख) (v) में की गई प्रविष्टि को तत्काल प्रभाव से निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, अर्थात्- "पैरा-2 (क) (v)-----केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सी.बी.आई.) तथा केन्द्रीय पुलिस संगठन (सी.पी.ओ.) में उप निरीक्षक के पद"

सुनील के. अरोड़ा
अवर सचिव

नोट : मूल संकल्प दिनांक 24 मई, 1999 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में संख्या 39018/1/98-स्था.(ख) द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा इसमें दिनांक 13.11.2003 के संकल्प संख्या 24012/8/2003-स्था.(ख), दिनांक 29.9.2005 के संकल्प संख्या 24012/8-क/2003-स्था.(ख), दिनांक 29.9.2005 के संकल्प संख्या 24012/8-क/2003-स्था.(ख) तथा तथा दिनांक 07.09.2006 के संकल्प संख्या 39021/2/1998-स्था.(ख) के द्वारा संशोधन किए गए।

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2008

सं. 1/2/2006-सी.औ. II--सक्षम प्राधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय कपास सलाहकार बोर्ड से हटाए जाने का निर्णय लिया है :--

1. श्री रामदेव सिंह निरूभाई जाला,
   82, रूपली सोसायटी, तलाजा रोड,
   हिल ड्राइव भावनगर-36400

2. श्री बिपिन रमणिक लाल रावल,
   1/11, गायत्री नगर,
   'अभिलाषा', राजकोट

3. श्री प्रथा घोष, ऑर्बिट प्लेस,
फ्लेट नं. 2सी, 9, लवलोक प्लेस,
कोलकाता-700 019

2. कपास सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 26.06.2006 की अधिसूचना सं. 1/2/2006-सी.टी.-II ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित हो गई है।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जे. एन. सिंह
संयुक्त सचिव

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 8 मई 2008

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर--अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के समसंख्यक संकल्प द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया था। भारत सरकार ने श्री सुबोध कुमार छिब्बर, नं. 29 हेमकुण्ड कालोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 को नए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। जबकि दिनांक 8 सितम्बर, 2006 (क्रमांक 1, 3, 5 एवं 7 को छोड़कर) 23 अक्तूबर, 2006, 22 एवं 27 नवम्बर, 2006, 5, 21 दिसम्बर, 2006, (क्रमांक 2 को छोड़कर) और 22 दिसम्बर, 2006 (क्रमांक 5 को छोड़कर) 5 एवं 10 जनवरी, 2007, 1 फरवरी, 2007 (क्रमांक 1 को छोड़कर) और 14 फरवरी, 2007 (क्रमांक 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 10 को छोड़कर) 2, मार्च, 2007 (क्रमांक 2 को छोड़कर) 7, 9 मार्च, 2007, 8 मई, 2007, (क्रमांक 2 को छोड़कर) 16 मई, 2007, 25 जुलाई, 2007, 3 और 29 अगस्त, 2007, 11 सितम्बर, 2007, 24 सितम्बर, 2007, 15 अक्तूबर, 2007, 2 नवम्बर, 2007 और 11, 12 एवं 25 मार्च, 2008 के संकल्प के द्वारा गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 54 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 79 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

दिनांक 13 मई 2008

दिनांक 11.03.2008 के संकल्प में संशोधन

सं. के-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर--दिनांक 11.3.2008 के समसंख्याक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम सं. 3 पर उल्लिखित गैर-सरकारी सदस्य श्री प्रदीप जैन का सूचित पता एफ-262, गली सं. 16, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 के स्थान पर प्रदीप जैन, 7, सेन्ट्रल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली-110001 पढ़ा जाए।

गैर-सरकारी बोर्ड सदस्य श्री प्रदीप जैन के पते में परिवर्तन उनके द्वारा अपना आवास-सह-कार्यालय नए स्थान पर बदल लेने के कारण, उनके अनुरोध पर किया गया है।

तथापि, दिनांक 11.3.2008 के संकल्प की अन्य शर्तें एवं नियम वही रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2008

नियमावली

सं. 4/1/2008 एम. II (एस.एम.)--निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए 2008 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता, परीक्षा की नियमावली जल संसाधन मंत्रालय की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:--

वर्ग--1 (भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय के पद)

(1) कनिष्ठ भू-विज्ञानी, ग्रुप ''क''

वर्ग--2 (केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय के पद)

(1) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (वैज्ञानिक ''ख''), ग्रुप ''क''

(2) सहायक जल भू-विज्ञानी, ग्रुप ''ख''

2. कोई भी उम्मीदवार नियमों के अनुसार पात्र होने पर किसी एक या दोनों वर्गों के पदों के लिए, प्रतियोगी हो सकता है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त कर लेता है, उसे विस्तृत आवेदन प्रपत्र में उन वर्गों के पदों के वरीयता क्रम को स्पष्ट रूप में उल्लेख करना होगा जिनके लिए वह विचार किए जाने का इच्छुक है, ताकि नियुक्ति करते समय योग्यता क्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा दर्शायी गई वरीयता पर यथोचित रूप से विचार किया जा सके।

विशेष ध्यान (1): उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र में दर्शाई गई वरीयताओं में परिवर्धन/परिवर्तन करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा।

विशेष ध्यान (2): दोनों वर्गों के पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को वास्तव में योग्यता सूची में उनके क्रम, उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयताओं तथा रिक्तियों की संख्या के अनुसार ही पदों के लिए आवंटित किया जाएगा।

3. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप में किए जायेंगे। उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां शुरू में अस्थाई रूप में की जाएंगी।

4. आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट--1 में निर्धारित रीति से आयोजित की जाएगी।

परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा।

5. कोई उम्मीदवार या तो:--

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, पूर्वी अफ्रीकी देशों या जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया या वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलत: भारतीय व्यक्ति हो।

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवारों को सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

6. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु पहली जनवरी, 2008 को 21 वर्ष हो चुकी हो, किन्तु 32 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उनका जन्म 2 जनवरी, 1976 से पहले और पहली जनवरी 1987 के बाद न हुआ हो।

(ख) यदि निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारी नीचे के कालम 1 में उल्लिखित किसी विभाग में नियोजित हैं और यदि वे कालम-2 में उल्लिखित समरूपी पद (पदों) हेतु आवेदन करते हैं उनके मामले में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 7 वर्ष की छूट दी जाएगी:--

कालम	कालम
1	2
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	भू-विज्ञानी (कनिष्ठ), ग्रुप 'क'
केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (वैज्ञानिक ख) ग्रुप 'क', सहायक जल भू-विज्ञानी, ग्रुप 'ख'

(ग) निम्नलिखित स्थितियों में ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी:--

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(2) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के पात्र हों।

(3) ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक।

(4) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(5) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित), ने पहली जनवरी, 2008 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुए शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 2008 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(6) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पहली जनवरी, 2008 तक पूरी कर ली है, और जिनकी नियुक्ति 5 वर्ष से अधिक बढ़ाई गई हो तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा।

(7) दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों तक।

टिप्पणी I :--अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त नियम 6 (ग) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी II : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी III : आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारी, जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं, उन्हें उपर्युक्त नियम 6 (ग) (5) तथा (6) के अधीन आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी IV : उपर्युक्त नियम 6 (ग) (7) के अन्तर्गत आयु में छूट के उपबन्धों के बावजूद, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को आवंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शरीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र में किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गये प्रमाणपत्र किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे प्रमाण स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित है।

टिप्पणी 11 :--उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न ही विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी 2 :--उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार लेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या किसी बाद की परीक्षा में किसी भी कारण से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विशेष ध्यान :--

(1) जिस उम्मीदवार को नियम 6(ख) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागं पत्र दे देता है या विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन करने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

(2) जो उम्मीदवार अपने विभाग को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय को स्थानान्तरित हो जाता है वह उस पद (पदों) हेतु विभागीय आयु संबंधी रियायत लेकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा जिसका पात्र वह स्थानान्तरण न होने पर रहता बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र विधिवत अनुशंसा सहित उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित कर दिया गया हो।

उम्मीदवार के पास :—

7. (क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित किसी अन्य शिक्षा संस्थान से भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या समुद्र भू-विज्ञान में "मास्टर" डिग्री या

(ख) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद से अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में एसोसियेटशिप का डिप्लोमा या

(ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनिज अन्वेषण में मास्टर डिग्री (केवल भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीन) के लिए या

(घ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जल भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री (केवल केन्द्रीय भूजल बोर्ड के पदों) हेतु।

टिप्पणी 1 :—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को यदि अन्यथा पात्र होंगे तो परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनंतिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 2 :—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है जिसके पास इस नियम में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार का परीक्षा में प्रवेश उचित ठहर सके।

टिप्पणी 3 :—जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है, जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

8. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

9. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थाई या अस्थाई हैसियत से या कार्य प्रभावित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह वचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र को स्वीकार करने तथा उनकी पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग में उन्हें प्रवेश दिया है, अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एडमीशन) न हो।

12. जिस उम्मीदवार ने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों में फेरबदल किया गया है, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में उम्मीदवार के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधन का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रोनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग

किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो; या

(12) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, अथवा

(13) पूर्वोक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे :--

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है तथा/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :--

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :--

(1) उम्मीदवार इस सम्बन्ध में जो लिखित अभ्यावेदन देना चाहे उसे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उस पर विचार न कर लिया गया हो।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपनी विवक्षा पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

परन्तु यदि आयोग के मतानुसार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाए जा सकते हैं तो आयोग उनको स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।

14. (1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से प्रदान किए गए कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तत्पश्चात् आयोग अनारक्षित पदों पर उम्मीदवारों की अनुशंसा हेतु परीक्षा के आधार पर भरी जानी वाली अनारक्षित रिक्तियों के संदर्भ में अर्हक अंक (जो बाद में सामान्य अर्हक मानक कहलाएगा) निर्धारित करेगा। आरक्षित रिक्तियों पर अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अनुशंसित करने के उद्देश्य से परीक्षा के आधार पर इन प्रत्येक वर्गों के लिए भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों के संदर्भ में आयोग सामान्य अर्हक मानक में छूट दे सकता हैं।

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के किसी भी स्तर पर पात्रता या चयन मानदंड में किसी भी प्रकार की रियायत या छूट का उपभोग नहीं किया है तथा वे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानक के आधार पर अनुशंसा के लिए योग्य पाए गए हैं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा।

(2) सेवा आबंटन के समय, अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों के तहत समायोजित किया जा सकता है यदि इस प्रक्रिया के जरिये वे अपने अधिमान के क्रम में उच्चतर विकल्प की सेवा को प्राप्त करते हैं।

(3) आयोग अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की किसी कमी को ध्यान में रखते हुए अर्हक मानकों को और कम कर सकता है और इस नियम के प्रावधानों से उत्पन्न आरक्षित रिक्तियों पर किसी उम्मीदवार के अधिशेष हो जाने पर आयोग, उप नियम (4) और (5) में निर्धारित ढंग से अनुशंसा कर सकता है।

(4) उम्मीदवारों की अनुशंसा करते समय, आयोग प्रथम दृष्टया सभी वर्गों में रिक्तियों की कुल संख्या का ध्यान रखेगा। अनुशंसित उम्मीदवारों की इस कुल संख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों की संख्या को घटाया जाएगा जिन्होंने उपनियम (1) के परन्तुक के शर्तों के अनुसार पात्रता या चयन मानदण्ड में किसी प्रकार की रियायत या छूट प्राप्त किए बिना योग्यता या निर्धारित सामान्य अर्हक मानक से अधिक योग्यता प्राप्त की है। अनुशंसित उम्मीदवारों की इस सूची के साथ-साथ आयोग्य उम्मीदवारों की समेकित आरक्षित सूची जारी करेगा जिसमें प्रत्येक वर्गों के अन्तर्गत अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के नीचे योग्यता क्रम में रैंक किए गए सामान्य तथा आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार शामिल होंगे। इस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या आरक्षित श्रेणियों के उन उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी जिन्हें उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसार पहली सूची में पात्रता में या चयन मापदण्ड में बिना किसी छूट या रियायत के शामिल किया गया। आरक्षित वर्गों में से, आरक्षित सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों प्रत्येक के उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक वर्गों में प्रारम्भिक रूप से कम की गई रिक्तियों की क्रमिक संख्या के बराबर होगी।

(5) उपनियम (4) में दिए प्रावधानों के अनुसार अनुशंसित उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आबंटित किए जाएंगे और जहां कुछ रिक्तियों को अभी भी भरा जाना बाकी है वहां सरकार आयोग को इस अनुरोध के साथ मांग भेज सकती है कि वह आरक्षित सूची में से प्रत्येक श्रेणी में रिक्त रह गई रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से मांग की गई संख्या को बराबर उम्मीदवारों की योग्यता क्रम अनुशंसा करें।

15. शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें परीक्षा के सभी स्तरों पर आयोग के विवेकानुसार निर्धारित अर्हता स्तर में छूट दी जाएगी। तथापि यदि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार का आयोग द्वारा सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति

तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों हेतु निर्धारित अर्हता स्तर पर अपेक्षित संख्या में अपनी योग्यता पर चयन होता है तो आयोग द्वारा रियायती स्तर पर अतिरिक्त शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों अर्थात् उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक की अनुशंसा नहीं की जाएगी।

16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

17. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करे इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसा भी मामला हो, निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाता है कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को इस पद के लिए अथवा अन्यथा उनके शारीरिक अरोग्यता का पता लगाने के लिए चिकित्सा परीक्षण करवाना अपेक्षित होगा। चिकित्सा परीक्षा का विवरण इस नियमावली के परिशिष्ट-II में दिए गए हैं। चिकित्सा परीक्षा के समय उम्मीदवार को संबंधित चिकित्सा बोर्ड को 16.00 रुपये (केवल सोलह रुपये) का भुगतान करना होगा।

नोट :--निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरी जांच करा लें। उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरी परीक्षाओं से गुजरना होगा इनके स्वरूप के विवरण और मानक परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं। विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों को पद विशेष की अपेक्षाओं के अनुसार स्तर में छूट दी जाएगी।

19. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के लिए उनकी अक्षमता चालीस प्रतिशत (40%) या उससे अधिक होनी चाहिए। तथापि ऐसे उम्मीदवारों से निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं में से एक या अधिक जो संबंधित सेवाओं/पदों में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो, पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी :–

कोड	शारीरिक अपेक्षाएं
1	2
एफ (F)	1. हस्तकौशल (अंगुलियों से) द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य।
पी पी (PP)	2. खींच कर तथा धक्के द्वारा किए जाने वाले कार्य।
एल (L)	3. उठाकर किए जाने वाले कार्य।
के सी (KC)	4. घुटने के बल बैठकर तथा क्राउचिंग द्वारा किए जाने वाले कार्य।
बी (B)	5. झुककर किए जाने वाले कार्य।
एस (S)	6. बैठकर (बेंच या कुर्सी पर) किए जाने वाले कार्य।
एस टी (ST)	7. खड़े होकर किए जाने वाले कार्य।
डब्ल्यू (W)	8. चलते हुए किए जाने वाले कार्य।
एस ई (SE)	9. देखकर किए जाने वाले कार्य।
एच (H)	10. सुनकर/बोलकर किए जाने वाले कार्य।
आर डब्ल्यू (RW)	11. पढ़कर तथा लिखकर किए जाने वाले कार्य।

संबंधित सेवाओं/पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके मामलों में कार्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से एक या अधिक होगा:--

कार्यात्मक वर्गीकरण

कोड	कार्य
बी एल (BL)	1. दोनों पैर खराब लेकिन भुजाएं नहीं।
बी ए (BA)	2. दोनों भुजाएं खराब-क. दुर्बल पहुंच, ख. पकड़ की दुर्बलता
बी एल ए (BLA)	3. दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं खराब।
ओ एल (OL)	4. एक पैर खराब (दायां या बायां)-क. दुर्बल पहुंच, ख. पकड़ की दुबर्लता, ग. ऐटेक्सिक
ओ ए (OA)	5. एक भुजा खराब (दाईं या बाईं) -वही-
बी एच (BH)	6. सख्त पीठ तथा कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)।
एम डब्ल्यू (MW)	7. मांसपेशीय दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति।
बी (B)	8. नेत्रहीन।
पी बी (PB)	9. आंशिक नेत्रहीन।
डी (D)	10. बधिर।
पी डी (PD)	11. आंशिक बधिर।

20. जिस व्यक्ति ने :--

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या अनुबंध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी है तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

21. इस परीक्षा के माध्यम से जिन पदों के संबंध में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-3 में दिया गया है।

सी. के. रावत
अवर सचिव

परिशिष्ट--1

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी:--

भाग-1--नीचे पैरा 2 में दिए गए नियमों में लिखित परीक्षा।

भाग-2--आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों का है।

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी:--

विषय	समय	पूर्णांक
(1) सामान्य अंग्रेजी	2 घंटे	100
(2) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र-I	3 घंटे	200
(3) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र-II	3 घंटे	200
(4) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र III	3 घंटे	200
(5) जल भू-विज्ञान	3 घंटे	200

नोट:--वर्ग 1 और वर्ग 2 के अंतर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त सभी विषय लेने होंगे। केवल वर्ग-1 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवार को उपर्युक्त (1) से (4) तक के विषय लेने होंगे और केवल वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को (1) से (3) तथा (5) तक विषय लेने होंगे।

3. सभी विषयों की परीक्षा पूर्णत: परम्परागत निबंधात्मक प्रकार की होगी।

4. सभी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।

5. परीक्षा का स्तर और पाठ्यचर्या संलग्न अनुसूची के अनुसार होंगे।

6. उम्मीदवार को उत्तर अपने ही हाथ से लिखने चाहिए। उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी लिखने वाले की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. आयोग परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निश्चित कर सकता है।

8. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

9. अनावश्यक ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

10. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग की और सही हो।

11. प्रश्न-पत्र में आवश्यक होने पर केवल प्रश्न तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित ही पूछे जाएंगे।

12. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

13. उम्मीदवारों को इस परीक्षा में अपने साथ बैटरी चालित पाकेट केलकुलेटर लाने तथा प्रयोग करने की छूट है। परीक्षा हाल में केलकुलेटर उधार लेने अथवा बदलने की अनुमति नहीं है।

14. व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार

उम्मीदवार का साक्षात्कार सक्षम तथा निष्पक्ष प्रेक्षकों के एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके समक्ष उम्मीदवार के परिचयवृत का पूर्व अभिलेख होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार जिस पद के लिए वह प्रतियोगी है उसके लिए उसकी उपयुक्तता को आंकना है। व्यक्तित्व परीक्षण में उम्मीदवार के नेतृत्व, पहलशक्ति और बौद्धिक जिज्ञासा, व्यवहार कौशल और अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक और शारीरिक शक्ति, व्यवहारिक अनुप्रयोग की क्षमताओं, चारित्रिक सत्यनिष्ठा और स्वयं को कार्य क्षेत्र के अनुकूल बनाने के प्रति अभिरुचि की क्षमताओं के मूल्यांकन की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अनुसूची

स्तर और पाठ्यचर्या

अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र का स्तर ऐसा होगा जिसकी अपेक्षा विज्ञान के स्नातक से की जाती है। भू-वैज्ञानिक विषय भारतीय विश्वविद्यालय की एमएस.सी. डिग्री स्तर के होंगे और सामान्यत: प्रत्येक विषय में ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनमें उम्मीदवारों को विषय की समझ का पता लग सके।

किसी भी विषय की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

(1) सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में एक लघु निबंध लिखना होगा। अन्य प्रश्नों का उद्देश्य उनकी अंग्रेजी समझने की क्षमता तथा शब्दों के सुनिपुणता की परीक्षा करना होगा।

(2) भू-विज्ञान

प्रश्न-पत्र-1

खंड क: भू-आकृति विज्ञान तथा सुदूर संवेदन

मूल सिद्धांत। अपक्षण तथा मृदा बृहत क्षति। प्रक्रियाओं पर जलवायु का प्रभाव। अपरदन चक्र की अवधारणा। नदीय भू भाग, शुष्क क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों 'कार्स्ट' भूदृश्य तथा हिमानी श्रृंखलाओं का भू-आकृति विज्ञान, भू-आकृति मानचित्रण, ढाल विश्लेषण तथा अप्रवाह द्रोणी विश्लेषण। खनिज पूर्वेक्षण, सिविल इंजीनियरी, जल विज्ञान तथा पर्यावरणीय अध्ययनों में, भू-आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग। स्थलाकृति मानचित्र। भारत का भू-आकृति विज्ञान। वायवीय फोटोग्राफी तथा फोटोग्राममीति की अवधारणा तथा नियम। उपग्रह सुदूर संवेदन-आंकड़ा उत्पाद तथा उनकी व्याख्या की परिकल्पना तथा सिद्धांत। प्रतिबिम्ब संसाधन। स्थलरूप में सुदूर संवेशन तथा भू उपयोग मानचित्रण संरचना मानचित्रण--जल भूविज्ञानीय अध्ययन तथा खनिज अन्वेषण। विश्वव्यापी तथा भारतीय अंतरिक्ष मिशन। भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS)--सिद्धांत तथा अनुप्रयोग।

खंड ख: संरचना भू-विज्ञान

भू-वैज्ञानिक मानचित्रण तथा मानचित्र अंकन, प्रक्षेप आरेख के सिद्धांत। इलास्टिक, प्लास्टिक तथा लसीला के (विस्कोसा) सामग्री का बल-दबाव संबंध, विकृत शैलों के दबाव का मापन विरूपण परिस्थितियों में खनिजों तथा शैलों का व्यवहार। बलन, भेदन/दरार रेखन, संधियों तथा भ्रंशों का संरचनात्मक विश्लेषण, अध्यारोपित विरूपण। क्लनन तथा भ्रंशन की

क्रियाविधि। क्रिस्टलन और विरूपण के बीच समय संबद्धता विषम विन्यास तथा आधार-उपस्थिति संबंध। आग्नेय शेलों, अंतर्वेधी तथा लवण गुम्बदों का संरचनात्मक व्यवहार। शैल संविन्यासी परिचय।

खंड ग : भू-विवर्तनिक

पृथ्वी तथा सौर पद्धति, उल्कापिन्ड तथा अन्य अति पार्थिव पदार्थ, पृथ्वी का ग्रहीय विकास तथा इसकी आंतरिक संरचना। पृथ्वी की भू-पटल की विषमता। महासागरीय तथा महाद्वीपीय भू-पटल की प्रमुख विवर्तनिक विशेषताएं। महाद्वीपीय विस्थापन--भूवैज्ञानिक तथा भू-भौतिकीय प्रमाण, यांत्रिकी आपत्तियां, वर्तमान स्थिति। मध्यसागरीय कटक, गभीरसागर खाईयां, स्थर भू-खंड क्षेत्रों तथा पर्वतीय श्रृंखलाओं पर गुरुत्व एवं चुम्बकीय असंगति। पराचुम्बकत्व। समुद्रतल विस्तारण तथा प्लेट विवर्तनिकी। द्वीप चाप, महासागरीय द्वीप तथा ज्वालामुखी चाप। समस्थिति, पर्वतन तथा महादेशरचना। पृथ्वी की भूकंपीय पट्टियां। भूकंपीयता तथा प्लेट संचलन। भारतीय पट्टिका की भू-गतिकी।

खंड घ : स्तरिकी

नाम पद्धति तथा आधुनिक स्तरिकी नियमावली। विकिरण--समस्थानी तथा भूवैज्ञानिक काल मापन। भूवैज्ञानिक काल--स्केल। अजीवाश्मी गैर जीवाश्मय शैली के सहसंबंध की स्तरिकी प्रक्रियाएं। भारत की कैम्बरियन पूर्व स्तरिकी। भारत की पुराजीवी मध्यजीवी तथा नूतनजीवी शैल समूह की स्तरिकी। गोडवाना शेल समूह तथा गोडवाना भूमि। हिमालय का उत्थान तथा शिवालिक द्रोणी का विकास। दक्खिनी ज्वालामुखी। चतुर्थ महाकल्प स्तरिकी। शैल अभिलेख, पुराजलवायु तथा पुरा भूगोल।

खंड ङ : जीवाश्म विज्ञान

जीवाश्म अभिलेख तथा भूवैज्ञानिक काल स्कंल। आकृति विज्ञान तथा जीवाश्म समूहों के काल परिसर। भूवैज्ञानिक काल में मोलस्को तथा स्तनपायियों में विकासीय परिवर्तन। विकास के सिद्धान्त। जैव स्तरिकी सह-संबंध में फोरामिनीफेरा तथा एकिनोडमांट की जातियों तथा सवंशों का प्रयोग। शिवालि कशेरुकी प्राणिजात तथा गोडवाना वनस्पति, कैम्बरियन पूर्व काल में जीवन का प्रमाण। विभिन्न सूक्ष्म जीवाश्म समूह तथा उनका भारत में वितरण।

(3) भू-विज्ञान

प्रश्न पत्र-II

भाग क : खनिजिकी

आम शैल निर्मित करने वाले सिलीकेट खनिज समूहों के भौतिकीय, रसायनिक तथा क्रिस्टल संरचनात्मक अभिलक्षण। आग्नेय तथा कायांतरी शैलों के आम खनिज। कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फाइड तथा हैलाइड समूहों के खनिज।

आम शैल निर्मित करने वाले सिलीकेट खनिजों के प्रकाशीय गुण, एक अक्षीय तथा द्विअक्षीय खनिज : खनिजों के विलोम कोण, बहु-वर्णता, द्विअवर्तन तथा उनके खनिज संघटन से संबंध। यमलित क्रिस्टल/प्रकीणेन।

4 स्टेज।

भाग ख : आग्नेय तथा कायांतरी शैलिकी

आग्नेय शैलों के रूप, गठन तथा संरचना। सिलीकेट गलित संतुलन, द्विअंगी तथा त्रिअंगी अवस्था आरेख। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, एन्डेजाइट तथा क्षारीय शैलों की शैलिकी तथा भूविवर्तनिक विकास। ग्रैवो, किम्बरलाइट एनार्थसाइट तथा कार्बोनेटाइट की शैलिकी/प्राथमिक अल्पसिलिक मैग्माकी उत्पत्ति।

कायांतरी शैलों का गठन तथा संरचना। मृदार्श्मक तथा अशुद्ध कैल्सियमी शैलों का क्षेत्रीय तथा संस्पर्श कायान्तरण। खनिज समुच्चय तथा P-T अवस्था। कायांतरित अभिक्रियों का प्रायोगिक तथा उष्मागतिक मूल्यांकन। कायांतरण के विभिन्न कोटि तथा संलक्षणी के अभिलक्षण। मैटासेमिटज्म तथा ग्रेनाइटांभवन, मिग्मेटाइट/प्लेटविवर्तनिकी तथा कायांतरण मंडल युग्मित कायांतरिक पट्टी।

भाग ग : अवसादी विज्ञान

अवसादी का जनक क्षेत्र तथा प्रसंघनन। अवसादी गठन। स्थलजात अवसादों का ढांचा मैट्रिक्स तथा सीमेंट। कण-साइज की परिभाषा, मापन तथा व्याख्या/हाइड्रोलिक्स के तत्व। प्राथमिक संरचना तथा पुराधारा विश्लेषण। जीव जनित तथा रासायनिक अवसादी संरचना। अवसादी पर्यावरण तथा संलक्षणी। समुद्री, असमुद्री तथा मिश्रित अवसादों का संलक्षणी प्रतिरूपण। विवर्तनिक तथा अवसादन। अवसादी द्रोणियों का वर्गीकरण तथा परिभाषा। भारत के अवसादी द्रोणियां। चक्रीय अवसाद। भूकंपी तथा अनुक्रमी स्तेरिकी/द्रोणी विश्लेषण का लक्ष्य तथा क्षेत्र। संरचना परिरेखा तथा समस्थूलता मैप।

भाग घ : भू-रसायन

पृथ्वी, सौर परिवार तथा सनिष्टि के संबंध में, तत्वों का अंतरिक्षी बाहुल। ग्रहों तथा उल्कापिंडों का संघटन। पृथ्वी की संरचना तथा संघटन और तत्वों का वितरण। सूक्ष्म मांत्रिक तत्व। मूल (प्रारंभिक) क्रिस्टल रसायन तथा उष्मागतिकी । समस्थानिक रसायन का परिचय। जलमंडल, जीवमंडल तथा वायुमंडल का भू-रसायन/भूरसायनिक चक्र तथा भूरसायनिक पूर्वेक्षण के सिद्धान्त।

भाग ङ: पर्यावरणीय भूविज्ञान

संकल्पना तथा सिद्धान्त। प्राकृतिक आपदा-निरोधक/पूर्वोपाय विधियां-बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प, नदी तथा तटीय अपरदन। मानवोदभवी सक्रियता जैसे नगरीकरण, विवृत खनन तथा अखनन, नदी-घाटी परियोजना, औद्योगिक तथा रेडियोधर्मी अवशिष्ट का निपटान, भौमजल का अतिअधिक निकासी, उर्वरक का उपयोग, अयस्कों, खनन अवशिष्टों तथा फ्लाइ ऐश का क्षेपण का प्रतिघाट निर्धारण/भौमजल का कार्बनिक तथा अकार्बनिक दूषण तथा उनके उपचार की विधियां । मृदा निम्नीकृत तथा उपचार की विधियां। पर्यावरण संरक्षा--भारत में वैधानिक विधियां।

(4) भूविज्ञान

प्रश्न पत्र-III

खंड क : भारतीय खनिज निक्षेप तथा खनिज अर्थशास्त्र

धात्विक निक्षेपों की भारत में प्राप्ति तथा वितरण--क्षारक धातु, लोहा, मैंगनीज, एलुमिनियम, क्रोमियम, निकल, सोना, चांदी मालिब्डेनम। भारतीय अधात्वनिक्षेप-अभ्रक, एसबेस्टस, बेराईटीज, जिप्सम, ग्रैफाइट, ऐपाटाइट तथा बेरिल। रत्नपाषाण, दुर्गलनीय खनिज, अपघर्षक तथा कांच उर्वरक, प्रलेप, सिरेमिक तथा सीमेंट उद्योग के उपयोग में आने वाले खनिज। इमारती पत्थर। फासफोराइट निक्षेप। लेसर निक्षेप। दुर्लभ मृदा खनिज।

युक्तीय, क्रांतिक तथा अनिवार्य खनिज। खनिज उत्पादन में भारत की स्थिति। खनिज खपत का बदलता पैटर्न। राष्ट्रीय खनिज नीति। खनिज अनुदान नियम। समुद्री खनिज सम्पत्ति तथा समुद्र के नियम।

खंड ख : अयस्क उत्पत्ति

अयस्क निक्षेप तथा अयस्क खनिज। खनिजन के मैग्मीय प्रक्रम। पार्थिरी, स्कार्न तथा उष्णजलीय खनिजन। तरल अंतर्वेश अध्यमन। (I) अतिमैफिक, मैफिक तथा अधिसिलिक शैलों, (II) हरितास्म पट्टी, (III) कोमाटाइट, एनार्थोसाइट तथा किम्बरलाइट एवं अंत: सागरीय ज्वालामुखन से संबंधित खनिजन। भू-वैज्ञानिक समय आद्योपान्त में मैग्मा-संबंधी खनिजन। स्तररूप तथा स्तरपरिमा अयस्क। अयस्क तथा कायांतरण--कारण और परिणाम संबंध।

खण्ड ग : खनिज अन्वेषण

पृष्ठ तथा अधस्तलीय अन्वेषण की विधियां, आर्थिक खनिजों का पूर्वेक्षण--प्रवेधन, प्रतिचयन, आमापनन। भूभौतिकीय प्रविधि-गुरुत्व, वैद्युत, चुम्बकीय, वायुवाहित तथा भूकंपी। भूआकृतिक तथा सुदूर संवेदन प्रविधि। भूवानस्पतिक तथा भूरासायनिक विधियां। वेधन, संलेखन तथा विचलन के लिए सर्वेक्षण।

खण्ड घ : ईंधन का भूविज्ञान

कोयला की परिभाषा तथा उत्पत्ति। कोयला युक्त संस्तरकी स्तरिकी। कोयला शैल विज्ञान के मूलभूत,पीट, लिग्नाइट, बिटुमेनी तथा ऐन्थ्राासाइट कोयला। कोयला के सूक्ष्मदर्शीय संघटक। कोयला-शैल विज्ञान का औद्योगिक अनुप्रयोग। भारतीय कोयला निक्षेप। कार्बनी पदार्थों का प्रसंघनन।

प्राकृतिक हाइड्रोकार्बनों की उत्पत्ति, अभिगमन तथा फंसना। स्रोत तथा तैलाश्म शैलों के अभिलक्षण। संरचनात्मक, स्तरिक तथा मिश्रित ट्रैप। अन्वेषण की प्रविधियां। भारत के अभितट तथा अपतट पेट्रोलियम द्रोणियों का भौगोलिक तथा भूवैज्ञानिक वितरण।

रेडियोसक्रिय खनिजों की खनिजिकी तथा भूरसायन। रेडियोसक्रियता पहचानने की यंत्रीय प्रविधियां। खनिजों के निक्षेपों के पूर्वेक्षण तथा आमापन के लिए रेडियोसक्रिय विधियां। भारत में रेडियो सक्रिय खनिजों का वितरण, पैट्रोलियम की खोज में रेडियोसक्रिय विधियां-कूप संलेखन प्रविधि। नाभिकीय अपरद निपटान--भूवैज्ञानिक बाधाएं।

खण्ड ङ: इंजीनियरी भूविज्ञान

शैलों तथा मृदाओं के बलकृत गुणधर्म। नदी घाटी परियोजनाओं में भूवैज्ञानिक अन्वेषण--बांध तथा जलाशय, सुरंगें--प्रकार, विधियां तथा समस्याएं। सेतु--प्रकार तथा आधारी समस्याएं। तटरेखा इंजीनियरी। भूस्खलन--वर्गीकरण, कारण निवारण तथा पुनर्वास। कंक्रीट पुंज--स्रोत, क्षार--पुंज प्रतिक्रिया। अभूकंपी, योजना--भारत में भूकंपनीयता तथा भूकंप प्रतिरोध संरचनाएं। इंजीनियरी परियोजनाओं में भौमजल की समस्याएं। भारत की मुख्य परियोजनाओं के भू-तकनीकी केस अध्ययन।

(5) जल भूविज्ञान

खण्ड क: जल का उद्भव, प्राप्ति तथा वितरण

जल का उद्भव: उल्का, आकाशी मैग्मीय तथा समुद्री जल।

जलीय चक्र: अवक्षेपण, प्रवाह, अंत:स्यदन तथा वाष्पोत्सर्जन। जलारेख। उपपृष्ठीयगति तथा भूजल का उर्ध्व वितरण। झरने, जलभरों का वर्गीकरण, अपवाह द्रोणी तथा भूजल द्रोणी की अवधारणा शैलों के जल विज्ञानीय गुणधर्म--आपक्षिक पराभव, आपक्षिक धारण, संरंधता द्रव चालकता, पारगम्यता, भंडारण गुणांक/भौम जलस्तर की घटाव बढ़ाव--उद्भावक कारक, वायुदबीय अवधारणा और ज्वारीय क्षमता। जल स्तर समोच्च रेखा मानचित्र जलधारी लक्षणों के संदर्भ में शैलों का वर्गीकरण--जल स्तरिकी इकाई--भारत के भूजल क्षेत्र। भारत के शुष्क प्रदेशों का भू-जल विज्ञान, आर्द्र क्षेत्र।

खण्ड ख: कूप द्रवचालित तथा कूप डिजाइन

भूजल प्रवाह का सिद्धांत, डार्सी का नियम और उसके अनुप्रयोग, प्रयोगशाला तथा क्षेत्र में परागम्यता का निर्धारण। कूपों के प्रकार, कूपों की ड्रिलिंग पद्धतियां, संरचना डिजाइन, विकास तथा अनुरक्षण, आपेक्षिक क्षमता तथा उसका निर्धारण। अपरिरुद्ध परिरुद्ध अस्थिर, स्थिर तथा त्रिज्य प्रवाह परिस्थितियां। भूजल विज्ञानीय सीमाओं के लिए पम्प परीक्षण-पद्धतियां, आंकड़ों का विश्लेषण तथा व्याख्या। थीम, थीस, जैकब तथा वाल्टन पद्धतियां अपनाते हुए जलभरों के पैरामीटरों का मूल्यांकन। भू-जल प्रतिदर्श अंकीय तथा विद्युत माडल।

खण्ड ग: भू-जल रसायन विज्ञान

भू-जल गुणवत्ता--जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, विभिन्न प्रयोगों के लिए गुणवत्ता मानदंड--जल मानदंड-जल गुणवत्ता आंकड़ों की ग्राफीय प्रस्तुति--भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भू--जल की गुणवत्ता--आर्सेनिक तथा फ्लोराइड की समस्याएं--तटीय तथा अन्य जलभरों में खारे पानी का अतिक्रमण और इसके रोधक उपाय। जल-भू विज्ञानीय, अध्ययनों में विकिरण समस्थानन (रेडियो आईसटाप) भू-जल संदूषण।

खण्ड घ: भू-जल अन्वेषण

भूविज्ञानी-अश्मविज्ञानीय तथा संरचनात्मक मानचित्रण, फ्रेक्चर ट्रेस विश्लेषण। जल-भूविज्ञानीय-जल विज्ञानीय गुणों के संदर्भ में अश्मविज्ञानीय वर्गीकरण। भूविज्ञानीय संरचनाओं के संदर्भ में द्रवचालित निरन्तरता। झरनों की स्थिति-सुदूर संवेदी-विभिन्न उपग्रह प्रेषणों के विभिन्न प्रभावों के उपयोग द्वारा भू-भाग का जल-भू आकृति मानचित्रण। रेखीय मानचित्रण। उपग्रह प्रभावों द्वारा सतही भू-जल सामर्थ्य क्षेत्र मानचित्रण। पृष्ठीय भू भौतिकी पद्धतियां--भूकंपीय घनत्वीय, भू विद्युतीय तथा चुम्बकीय। उपपृष्ठीय भू भौतिकी पद्धतियां--जलभरों के चित्रण तथा जलगुणवत्ता के आंकलन के लिए कूप गणन।

खण्ड ङ: भू-जल की समस्याएं तथा प्रबंध

स्थापना कार्य, खनन, नहरें तथा सुरंगों से संबंधित भू-जल की समस्याएं। अवशोषण तथा भू-जल खनन की समस्याएं। शहरी क्षेत्रों में भू-जल विकास तथा वर्षा जल उपज। कृत्रिम पुनर्भरण पद्धतियां। शुष्क प्रदेशों में भू-जल की समस्याएं और सुधारक उपाय। भू-जल संतुलन और आकलन की पद्धतियां। भू-जल विधान। संपोषण मानदण्ड तथा भू-जल स्रोतों के नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत प्रबंध।

परिशिष्ट-2

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

[ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मेडिकल एग्जामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों की निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं

को पूरा नहीं करता तो उसे स्वास्थ्य परीक्षक द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता। किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारण मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए भारत सरकार को यह अनुशंसा कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

2(क). तथापि, यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार को चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। शारीरिक विकलांगता की श्रेणी के अंतर्गत केवल आंशिक रूप से बधिर व्यक्तियों के मामले में पदों की अपेक्षाओं को देखते हुए कुछ हद तक छूट दी जाएगी।

(ख). चिकित्सा बोर्ड द्वारा उम्मीदवार के लिए आयोजित की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा में निर्धारित संपूर्ण चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। चिकित्सा परीक्षा का आयोजन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से सफल घोषित किए जाएंगे।]

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. भारतीय (एंग्लोइण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझें, व्यवहार में लाएं। यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवारों को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा :--

वह अपने जूते उतार देगा और मापदण्ड (स्टैण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एड़ियों के, पांवों के अंगूठे या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटेक्स आफ हैण्ड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे जाए। कद सेंटीमीटर और आधे सेंटीमीटरों के भागों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :--

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर के ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि इसका ऊपरी किनारा असफल का (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (इन्फीरियर एंगिल्स) के पीछे लगा रहे और वह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े/समतल (हारिजेंटल/प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं फीता अपने स्थान से हट न जाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा। और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84-89, 86-93.5 आदि। माप रिकार्ड करते समय आधी सेंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

विशेष ध्यान दें :--अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापे जाने चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन किया जाएगा और यह किलोग्राम में होगा। आधी किलोग्राम का उसका अंश नोट नहीं करना चाहिए।

6. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(1) सामान्य (जनरल) : किसी रोग या असामान्यत: (एबनार्मेलिटी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आंखों में भेंगापन या विकृति अथवा कन्टिगुअस स्ट्रक्चर का कोई ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता है तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूइटी) : दृष्टि तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी एक दूर की नज़र के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए । प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा ली जाएगी।

चश्मे के बिना आंख की नज़र (नेकड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा। क्योंकि इससे आंखों की हालत के बारे में मूल-सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ चश्मे के बिना दृष्टि तीक्ष्णता का मानक निम्नलिखित होगा।

दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
अच्छी	खराब	अच्छी	खराब
आंख	आंख	आंख	आंख
6/9	6/9	0.6	0.8
अथवा	अथवा		
6/6	6/12		

टिप्पणी : (1) मायोपिया का कुल परिणाम (सिलेण्डर सहित)--4.00 डी. से अधिक नहीं होना चाहिए। हाइपर मेट्रोपिया का कुल परिणाम (सिलेण्डर सहित)+4.00 डी. से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी : (2) फण्ड्स परीक्षा जहां तक संभव होगा चिकित्सा बोर्ड की विविक्षा पर फण्ड्स परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

टिप्पणी : (3) कलर विजन--(1) कलर विजन की जांच जरूरी होगी।

(2) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए। ला लैंटर्न एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा :--

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मि. मी.	1.3 मि. मी.
3. उद्भाषण काल	5 सेकण्ड	5 सेकण्ड

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण से संबंधित भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) तथा केन्द्रीय भूमि-जल बोर्ड से संबंध कनिष्ठ जल तथा भू-विज्ञानी तथा सहायक जल-भू-विज्ञानी के पदों के लिए रंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान तथा आंखों से संबंधित सभी चिकित्सा मानकों का स्तर ऊंचा होगा।

(3) लाल संकेत, हरे संकेत और रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। शिहारा के प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एंडिज ग्रीन की लैटर्न जैसी उपयुक्त लैटर्न और उसकी रोशनी में दिखाया जाता है। कलर विजन की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वासनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों आंखों में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लैटर्न से जांच करना लाज़मी है। शक वाले मामले में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

टिप्पणी : (4) दृष्टि क्षेत्र (फिल्ड ऑफ विजन) : सम्मुख विधि (कन्फ्रंटेशन मेथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब क्षेत्र को परमापी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : (5) रतौंधी (नाइट ब्लाइण्डनेस) केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है। रतौंधी में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टैण्डर्ड टैस्ट निश्चित नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए। परन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : (6) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की दिशाएं (आक्यूलर कण्डीशन्स)।

(क) आंख की अंग संबंधी बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिएक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता से कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रकोमा) रोहे जब तक भयानक न हों, साधारणत: अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(ग) भेंगापन जहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना जरूरी है भेंगापन अयोग्यता माना जाएगा, चाहे दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की ही क्यों न हो।

(घ) एक आंख वाला व्यक्ति एक आंख वाले व्यक्ति को नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा।

नार्मल मैक्सीमम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :--

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 + आयु होता है।

(2) 25 वर्ष के ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन में 110 + आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

विशेष ध्यान--सामान्य नियम के रूप में 140 एम. एम. के ऊपर सिस्टालिक प्रेशर और 90 एम. एम. के ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह भी पता लगना चाहिए कि घबराहट में (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है, ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच रक्त यूरिया निकाय (क्लिरेंस) की जांच भी नैमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमित पारा वाले दाबमापी (मर्करी मैनोमीटर) किस्म का उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के पंद्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम से हो। चाहे थोड़ी-बहुत होरीजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर हो तथा उसके कंधे से कपड़ा उतार देना चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ की भुजाओं के अन्दर की ओर रख कर और उसके निचले किनारों को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच उतार करके लगाने चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैला कर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूलकर बाहर न निकले।

कोहनी को मोड़कर बहू धमनी (बकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों-बीच स्टैथोस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम. एम. एच. जी. हवा भरी जाती है और उसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई देने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है। वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है, जब और हवा निकाली जाएगी तो तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाए यह

डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही लेना चाहिए क्योंकि कफ के लंबे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं दाब गिरने पर ये गायब हो जाती है तथा निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती हैं इस ''साइलेंट गैप'' से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की भी परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए जब मैडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेय (डायबिटीज), के घातक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड को उम्मीदवार का ग्लुकोज मेह (ग्लाइकोसरिया) के सिवाय, अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टेन्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है। इसका ग्लूको मेह (अमधुमही नान डायबिटिक) है और बोर्ड इस केस को मेडिसन के बिना ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा। जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मैडिकल विशेषज्ञ स्टैन्डर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लीनिकल रिपोर्ट (लेबोरेटरी परीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मैडिकल बोर्ड का ''फिट'' ''अनफिट'' की अंतरिम राय पर आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या इससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूति की तारीख से 6 हफ्तों के बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वस्थता परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है। यदि कान को खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। चिकित्सा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है :

1	2	3
(1)	एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो गैर तकनीकी काम के लिए योग्य।
(2)	दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोर्ड, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव है।	यदि 1000 से 4000 तक की 30 स्पीच फ्रिक्वेंसी में बहरापन डेसिबल तक हो तो तकनीक तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य।
(3)	सैन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिम्पनिक मैम्ब्रैन छिद्र	(1) एक कान सामान्य हो दूसरे कान से टिम्पनिक मेम्ब्रन में छिद्र हो तो अस्थाई आधार पर अयोग्य कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(2) के अधीन विचार किया जा सकता है। (2) दोनों कानों में मार्जिनल या एट्रिक छिद्र होने पर अयोग्य। (3) दोनों कानों में सेन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य।
(4)	कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड केविटी से सबनार्मल श्रवण।	(1) किसी एक कान से सामान्य रूप में एक ओर से मस्टायड कैविटी से सुनाई देता हो दूसरे कान से सब-नार्मल श्रवण वाले कान मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिए योग्य। (2) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिये अयोग्य यदि किसी भी कान की श्रवण यंत्र लगा कर अथवा बिना लगाये सुधार कर 30 डेसिबल हो जाने पर गैर तकनीकी काम के लिये योग्य।
(5)	बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया/ बिना आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिये अस्थाई रूप से अयोग्य।
(6)	नासापट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक एलर्जिक दशा।	(1) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
		(2) यदि लक्षणों सहित नास पट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य।
(7)	टांसिल और/अथवा स्वर यंत्र (लेन्सि) की जीर्ण प्रदाहक दशा।	(1) टांसिल और/अथवा स्वर यंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा योग्य।
		(2) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थाई रूप से अयोग्य।

1	2	3
(8)	कान, नाक और गले (ई.एन.टी.) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दभ ट्यूमर	(1) हल्का ट्यूमर अस्थाई रूप से अयोग्य। (2) दुर्दभ ट्यूमर अयोग्य।
(9)	ओस्योकिरोसिस	श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसिबल के अन्दर होने पर योग्य।
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष।	(1) यदि कामकाज में बाधक न हो तो योग्य। (2) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य।
(11)	नेजल पौली	अस्थाई रूप से अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह चबाने के लिये जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जायेगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर है या नहीं।

(छ) उसे हाईड्रोसिल बढ़ी हुई बेरिकोसिल बेरिकाज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उनके अंगों, हाथ पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली-भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात संरचना या दोष नहीं है।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. हृदय तथा फेफड़ों की किन्हीं ऐसी असमानताओं का पता लगाने, जिन्हें सामान्य शारीरिक परीक्षण के आधार पर नहीं देखा जा सकता है, के लिए छाती का रेडियोग्राफी परीक्षण केवल उन्हीं उम्मीदवारों का किया जाएगा जिन्हें संबंधित भू-विज्ञानी परीक्षा में अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है।

उम्मीदवार की शारीरिक योग्यता के बारे में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड (संबंधित उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा करने वाले) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देना चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यूटी में बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

टिप्पणी:--उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपयुक्त सेवाओं के लिए उसकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई हक नहीं है किन्तु यदि सरकार की प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने एक अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख से एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण-पत्र पेश करें तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें संबंधित मेडिकल प्रेक्टिशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षण के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है:--

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैन्डर्ड से संबंधित उम्मीदवारों की आयु और सेवाकाल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य समझा जाएगा, जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं है कि उसे कोई ऐसी बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन्फर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उससे अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य में भी उतना सम्बद्ध है जितना वर्तमान से और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यह प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल कम परिस्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

जो उम्मीदवार भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) और कनिष्ठ भू-जल विज्ञानी (वैज्ञानिक ख) सहायक भूजल विज्ञानी के पदों पर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें भारत में या भारत के बाहर क्षेत्रगत कार्य करना होगा। ऐसे उम्मीदवार के मामले में चिकित्सा बोर्ड को अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए कि वह क्षेत्रगत कार्य के लिए योग्य है या नहीं।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखनी चाहिए।

ऐसे मामले में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के कारण उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

ऐसे मामले में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के अयोग्य बनाए जाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है जब खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इन नियुक्तियों के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा:

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवारों को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में, उल्लिखित चेतावनी की ओर उस उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना नाम पूरा लिखें।

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं।

3. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड जनजाति आदि में से किसी जाति से संबंधित हैं जिनका औसत कद दूसरों से कम होता है। "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए। यदि उत्तर "हां" में हो तो उस जाति का नाम बताएं।

(ख) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैण्डस) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक से खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमटिज्म एर्पेडिसाइटिस हुआ है।

(ग) क्या दूसरी ऐसी कोई बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई ?

5. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें :—

1	2	3	4	5	6	7	8
यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण	यदि माता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं और उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

6. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

7. यदि ऊपर का उत्तर हां में हो तो बताएं कि किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?

8. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

9. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ?

10. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

11. उपर्युक्त सभी उत्तर मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है। तथा मैं अपने द्वारा दी गई किसी सूचना में की गई विकृति या किसी संगत जानकारी को छुपाने के लिए कानून के अन्तर्गत किसी भी कार्रवाई का भागी हूंगा। झूठी सूचनाएं देना व किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना अयोग्यता मानी जाएगी और मुझे सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। मेरे सेवाकाल के दौरान किसी भी समय ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि मैंने कोई गलत सूचना दी है या किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया है तो मेरी सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उपस्थिति में हस्ताक्षर

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रपत्र—I

(ख) (उम्मीदवार का नाम)

की शारीरिक परीक्षा या मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास		सामान्य	खराब
पोषण	पतला	औसत	मोटा
वजन	कद (जूते उतार कर)		
वजन	में हाल में हुआ कोई परिवर्तन		
	तापमान		

छाती का घेर----------

1. पूरा सांस खींचने पर----------

   पूरा सांस छोड़ने पर----------

2. त्वचा :--कोई बाहरी बीमारी----------

3. नेत्र :--

   (1) कोई बीमारी----------

   (2) रतौंधी----------

   (3) कलर विजन का दोष----------

   (4) दृष्टि के क्षेत्र (फील्ड ऑफ विजन)----------

   (5) फंड्स की जांच----------

   (6) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्विटी)----------

   (7) त्रिविम संगलन की योग्यता----------

दृष्टि की तीक्ष्णता	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर गोल सिलएकसम
दूर की नजर	दा. ने.		
	बा. ने.		
पास की नजर	दा. ने.		
	बा. ने.		
हाइपरमट्रोपिया (व्यक्त)	दा. ने.		
	बा. ने.		

4. कान निरीक्षण		सुनना
दायां कान	बायां कान	
5. ग्रंथियां	थाईराइड	

6. दांतों की हालत

7. श्वसन तंत्र (रेसपीरेटर सिस्टम)--का शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों से किसी असमानता का पता लगा है। यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें--

8. परिसंचरण तंत्र (सरक्यूलेटरी सिस्टम)
   (क) हृदय और आंगिक गति (आर्गेनिक लीजर)
   गति (रेट) :

   खड़े होने पर

   25 बार कुदाए जाने के बाद
   कुदाए जाने के 2 मिनट बाद
   (ख) ब्लड प्रेशर सिस्टालिक डायस्टालिक

9. उदर (पेट) घेरा स्पर्श सहायता हर्निया
   (क) दबाकर मालूम पड़ना : जिगर, तिल्ली, गुर्दे, ट्यूमर
   (ख) रक्तांश भगंदर

10. तंत्रका तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अपसामान्यता का संकेत.....

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम)
    कोई असमान्यता.....

12. जमन मूत्र तंत्र (जैनेटीयूरिनरी सिस्टम).....

    हाइड्रोसिल बोरिकोसिल आदि का कोई संकेत :

मूत्र परीक्षा :--

   (क) कैसा दिखाई पड़ता है

   (ख) उपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

   (ग) एल्बुमन

   (घ) शक्कर

   (ङ) कास्टस

   (च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

नोट :--महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक समय की गर्भिणी है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए (देखें विनियम 9)।

14. (क) उम्मीदवार परीक्षा कर लिए जाने के किन सेवाओं में कार्य के दक्ष तथा सतत निष्पादन हेतु सभी प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए यह अयोग्य पाया गया है।

   (ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्रगत सेवा के लिए योग्य है।

टिप्पणी 1 :--बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए।

   (i) स्वस्थ

   (ii) .....के कारण अस्वस्थ

   (iii).....के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ

टिप्पणी 2 :--उम्मीदवार की छाती का एक्सरे परीक्षण नहीं किया गया है, इस कारण उपर्युक्त निष्कर्ष अन्तिम नहीं है और छाती के एक्स-रे परीक्षण की रिपोर्ट के अध्यधीन है।

अध्यक्ष

स्थान : हस्ताक्षर सदस्य

सदस्य

दिनांक : मेडिकल बोर्ड की मुहर

प्रपत्र--II

उम्मीदवार का कथन/घोषणा

1. अपना नाम लिखें :

(बड़े अक्षरों में)

2. रोल नम्बर :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

मेडिकल बोर्ड द्वारा भरे जाने के लिए

टिप्पणी :--बोर्ड को उम्मीदवार की छाती के एक्सरे परीक्षण की जांच रिपोर्ट निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग के अन्तर्गत अपने निष्कर्ष रिकार्ड करना चाहिए।

उम्मीदवार का नाम.....

(i) स्वस्थ

(ii) .....के कारण अस्वस्थ

(iii).....के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ

स्थान : अध्यक्ष

हस्ताक्षर सदस्य

सदस्य

दिनांक : मेडिकल बोर्ड की मुहर

परिशिष्ट--3

इस परीक्षा के आधार पर जिन पदों के लिए भर्ती की जा रही है उनके संबंध में संक्षिप्त विवरण

1. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण

(1) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप क

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा। आवश्यक होने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को प्रशिक्षण और शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा 'परीक्षण' उत्तीर्ण करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा विहित किए जाएं।

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में निर्धारित

वेतनमान :--

(1) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) (कनिष्ठ समय वेतनमान) रुपए 8,000-275-13,500।

(2) भू-विज्ञानी (वरिष्ठ) (वरिष्ठ समय वेतनमान) रुपए 10,000-325-15,200।

(3) निदेशक (भू-विज्ञानी)--रुपए 12,000-375-16,500।

(4) निदेशक (भू-विज्ञानी नान फंक्शनल) (चयन ग्रेड)--रुपए 14,300-400-18,300।

(5) उपमहानिदेशक/(भू-विज्ञानी)--रुपए 18,400-500-22,400।

(6) वरिष्ठ उप-महानिदेशक--रुपए 22,400-525-24,500।

(7) महानिदेशक--रुपए 26,000--(नियत)।

(घ) सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी।

(ङ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्त वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित है।

(च) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्त लागू होगी।

(छ) भारतीय भू-विज्ञानी सर्वेक्षण के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है।

2. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड

(1) वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी) ग्रुप "क"--

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रखा जाएगा उस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

(ख) केन्द्रीय भू-जल-बोर्ड विहित वेतनमान--

(1) वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ-जल-भू-विज्ञानी)--रु. 8,000-275-13,500।

(2) वैज्ञानिक "ग" (वरिष्ठ-जल-भू-विज्ञानी)--रु. 10,000-325-15,200।

(3) वैज्ञानिक "घ"--रु. 12,000-375-16,500।

(4) क्षेत्रीय निदेशक--रु. 14,300-400-18,300।

(5) सदस्य--रु. 18,400-500-22,400।

(6) अध्यक्ष--रु. 22,400-525-24,500।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी।

(घ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्त वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित है।

(ङ) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय) सेवाएं नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्तें लागू होंगी।

(च) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है।

(2) सहायक जल-भू-विज्ञानी ग्रुप 'ख'

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, यदि आवश्यक समझा गया तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) निर्धारित वेतनमान रु. 7500-250-12000।

(ग) कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी (ग्रुप 'क') के संवर्ग में भर्ती अंशत: संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशत: समय-समय पर सरकार द्वारा आशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को सहायक जल+विज्ञानी के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा दी जाएगी।

(घ) सेवा, अवकाश और पेंशन की शर्त वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित हैं।

(च) सहायक भू-विज्ञानियों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

सी. के.रावत
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 23 मई 2008

विषय :--भारतीय प्रबंध संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए एक समिति की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 17.10.2007 के संकल्प में संशोधन।

सं. 8-15/2007-टी.एस. V--भारतीय प्रबंध संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए एक समिति की नियुक्ति के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 17.10.2007 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 4 में यह संशोधन किया जाता है कि यह समिति दिनांक 17.10.2007 को जारी संकल्प की तिथि से 6 माह की अवधि के स्थान पर 9 माह की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संशोधन की एक प्रति सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संशोधन की एक प्रति सूचना हेतु भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालय संस्थाओं, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संगठनों आदि को भेजी जाए।

एन. के. सिन्हा
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2008

सं. एफ. 9-9/2003-यू.-3--जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप मे घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि जे.एस.एस. महाविद्यापीठ, मैसूर, कर्नाटक से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और दिनांक 1 जनवरी, 2008 के पत्र संख्या एफ. 6-17/2004 (सीपीपी-I) के द्वारा जगदगुरू श्री शिवरात्रीश्वर विश्वविद्यालय मैसूर, कर्नाटक को जिसमें जे.एस.एस. मेडिकल कालेज मैसूर, जे.एस.एस. डेन्टल कालेज, मैसूर, जे.एस.एस. कालेज ऑफ फार्मेसी मैसूर तथा जे.एस.एस. कालेज ऑफ फार्मेसी ऊटी (तमिलनाडु) को प्रत्येक वर्ष के अंत में पुनरीक्षण के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए 'समविश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है। तदन्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने पहले संकल्प में आंशिक संशोधन किया तथा वार्षिक पुनरीक्षण के स्थान पर तीन वर्षों के पश्चात पुनरीक्षण की सिफारिश की;

4. अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपरोक्त सिफारिशों पर जगदगुरू श्री शिवरथरीश्वर विश्वविद्यालय मैसूर, कर्नाटक की सलाह पर (i) जेएसएस मेडिकल कालेज, मैसूर (ii) जे एस एस डेन्टल कालेज मैसूर, (iii) जेएसएस कालेज ऑफ फार्मेसी मैसूर तथा (iv) जेएसएस कालेज ऑफ फार्मेसी, ऊटी (तमिलनाडु) को अस्थायी रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। यह उस तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से उक्त कालेज स्वयं को अपने संबंधित विश्वविद्यालयों अर्थात राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर तथा तमिलनाडु तथा डॉ. एम. जी. आर. मेडिकल विश्वविद्यालय, चेन्नई से असंबद्ध कर लेंगे। यह उद्घोषणा तभी लागू होगी जब वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :--

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जेएसएस विश्वविद्यालय की समय-समय पर दर्जा प्रदान करने के तीसरे व पांचवे वर्ष के पूर्ण होने से पहले विशेषज्ञ समिति की सहायता से समीक्षा करेगा यह दर्जा, केवल इन विशेषज्ञ पुनरीक्षण समितियों व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों दोनों की निरीक्षण व मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर दिया जाएगा।

(ii) जेएसएसयू का संगम ज्ञापन तथा नियमावली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मॉडल संगम ज्ञापन व नियमावली के अनुसार होना चाहिए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रमाणीकृत होना चाहिए।

(iii) जेएसएसयू की संचयी निधि जमा दीर्घ अवधि के लिए होनी चाहिए तथा उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। संचयी निधि का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा।

जेएसएस कालेज ऑफ फार्मेसी, ऊटी जेएसएस विश्वविद्यालय के ऑफ कैम्पस केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा इस शर्त के अधीन है जिसका उल्लेख इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम संख्या 8 में है।

6. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जेएसएस विश्वविद्यालय या इसकी अंगीभूत शिक्षण इकाई को कोई योजनेतर और योजनागत सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 26th May 2008

RESOLUTION

No. 39021/2/1998-Estt.(B)-Vol. II—Government of India in the Department of Personnel & Administrative Reforms vide its Resolution No. 46/1(s)/74-Estt.(B) dated 4th November, 1975 constituted a Commision called the Subordinate Services Commission which has subsequently been redesignated as Staff Selection Commission effective from the 26th September, 1977 to make recruitment to various Class III (now Group C) (non-technical) posts in the various Ministries/Departments of the Government of India and in Subordinate offices. The functions of the Staff Selection Commission were enlarged from time to time and, the Constitution and functions of the Staff Selection Commission were modified further vide Resolutios No. 24012/8-a/2003-Estt.(B) dated 13.11.2003, No. 24012/8-A/2003-Estt.(B) dated 29.9.2005 and No. 39021/2/1998-Estt.(B) dated 7.9.2006.

2. It has now been decided to make amendment to the entry in para 2(a)(v) of the Resolution No. 39018/1/98-Estt.(B) dated 21.5.1999 with immediate effect, as under, namely:—

"Para-2(a)(v)—The posts of Sub-Inspector in Central Bureau of Investigation (CBI) and Central Police Organisations (CPOs)".

SUNEEL K. ARORA
Under Secy.

Note:—The Principal Resolution was published vide No. 39018/1/98-Estt.(B) in the Extra ordinary Gazette of India Part 1, Section 1 dated 24th May, 1999 and amended vide No. 24012/8-A/2003-Estt.(B) dated 13.11.2003, No. 24012/8-A/2003-Estt.(B) dated 29.9.2005 and No. 39021/2/1998-Estt.(B) dated 7.9.2006.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 21st May 2008

No. 1/2/2006-CT-II—The Competent authority has decided to terminate following members from Cotton Advisory Board with immediate effect:—

(i) Shri Ramdevsinh Nirubhai Zala,
82, Rupali Society, Talaja Road,
Hill Drive, Bhavnagar-36400

(ii) Shri Bipin Ramniklal Raval,
1/11, Gayatrinagar,
'Abhilasha', Rajkot

(iii) Shri Partha Ghosh, Orbit Palace
Flat No. 2C, 9, Lovelock Place,
Kolkata-700019.

2. The Notification No. 1/2/2006-CT-II dated 26.6.2006 regarding reconstitution of Cotton Advisory Board stands modified to the extent stated above.

Ordered that a copy of this Notification be communicated to all concerned.

Ordered also that it be published in the Gazette of India.

J. N. SINGH
Joint Secy.

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 8th May 2008

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2006-P&R—The All India Handicrafts Board was reconstituted vide resolution of even No. dated 08th September, 2006 for a tenure of two years. The Government of India has decided to induct Shri Subodh Kumar Chhibber, No. 29, Hemkund Colony, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 as new non official member of All India Handicrafts Board while retaining all officials and non-official members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide resolution dated 08th September, 2006 (except Sl. No. 1, 3, 5, & 7) 23rd October, 2006, 22nd November, 2006 and 27th November, 2006, 5th, 21st December, 2006 (except Sl. No. 2) and 22nd December, 2006 (except Sl. 5) 5th & 10th January 2007, 1st February, 2007 (except Sl. No. 1) and 14th February, 2007 (except Sl. No. 2, 3, 4, 7, 8, 9 & 10), 2nd March, 2007 (except Sl. No. 2), 7th & 9th March 2007, 8th May, 2007 (except Sl. No. 2), 16th May, 2007, 25th July, 2007, 3rd & 29th August, 2007, 11th September, 2007, 24th September, 15 October, 2007, 2nd November 2007, 11th, 12th & 25th March 2008.

The present strength of the Board shall be 79 Members comprising of Chairman, 24 official Members including Member Secretary and 54 non-official Members, in the reconstituted All India Handicraft Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 08th September 2006 will, however, remain same and unchanged.

Order

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

Dr. Sandeep Srivastava
Additional Development Commissioner (Handicrafts)

The 13th May 2008

AMENDMENT TO RESOLUTION DATED 11.03.2008

No. K-12012/5/16/2006-P&R/180—In partial modification of Resolution of even number dated 11.03.2008, the address of Non-Official Board Member Shri Pradeep Jain recorded as F-262, Lane No. 16, Laxmi Nagar, Delhi-110092 mentioned at S. No. 3, may be read as Pradeep Jain, 7, Central Lane, Bengali Market, New Delhi-110001.

The change in address of Shri Pradeep Jain Non-Official Board Member has been made on his personal request, in view of shift of his residence-cum-office to new location.

Other Terms & Conditions of the Resolution dated 11.03.2008 will however remain unchanged.

ORDERED

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

(Dr.) SANDEEP SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 14th June 2008

RULES

No. 4/1/2008-M.II(SM).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 2008 for the purpose of filling vacancies in the following posts are, with the concurrence of Ministry of Water Resources, published for general information :—

Category I (Posts in the Geological Survey of India, Ministry of Mines).

(i) Geologist (Junior), Group A.

Category II (Posts in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources).

(i) Jr. Hydrogeologists (Scientist B), Group A.

(ii) Assistant Hydrogeologist, Group B.

2. A candidate may compete for any one or both the categories of posts for which he is eligible in terms of the Rules. A candidate who qualifies for both the categories of posts on the result of the written part of the examination will be required to indicate clearly in the Detailed Application Form the categories of posts for which he wishes to be considered in the order of preference so that having regard to his rank in order of merit, due consideration can be given to his preference when making appointment.

N. B. (i) No request for addition/alteration in the preferences indicated by a candidate in his Detailed Application Form will be entertained by the Commission.

N. B. (ii) The candidates competing for both the categories of posts will be allotted to the posts strictly in accordance with their merit position, preferences exercised by them and number of vacancies.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and Physically disabled categories in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Appointment on the results of the examination will be made on a temporary basis in the first instance.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

5. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of Permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on 1st January, 2008 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1976 and not later than 1st January, 1987.

(b) The upper age limit will be relaxable upto a maximum of seven years in the case of Government servants, if they are employed in a Department mentioned in Column I below and apply for the corresponding post(s) mentioned in column II.

Column I	Column II
Geological Survey of India	Geologist (Junior), Group A
Central Ground Water Board	Jr. Hydrogeologist (Scientist B), Group A
	Assistant Hydrogeologist, Group B.

(c) The upper age limits prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates.

(iii) upto a maximum of five years, if a candidate had ordinarily been domiciled in the State of Jammu &

Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to 31st day of December, 1989.

(iv) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

(v) upto a maximum of five years in the case of Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years of Military Service as on 1st January, 2008 and have been released (i) on completion of assignment including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st January, 2008 otherwise than by way of dismissal of discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment.

(vi) upto a maximum of 5 years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of 5 years of Military Service as on 1st January, 2008 and whose assignment has been extended beyond 5 years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on 3 months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

(vii) upto a maximum of 10 years in the case of blind, deaf-mute and Orthopaedically disabled persons.

Note I— Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of Rule 6(c) above, viz. those coming under the category of Ex-servicemen persons domiciled in the state of J & K physically handicapped etc. will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

Note II— The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-Servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Note III—The age concession under Rule 6(c) (v) and (vi) will not be admissible to Ex-Servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs, who are released on their own request.

Note IV—Notwithstanding the provision of age-relaxation under Rule 6(c) (vii) above, a physically handicapped candidate will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or appointing authority, as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the concerned Services/Posts to be allocated to the physically disabled candidates by the Government.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificates in this part of the instructions include the alternative certificates mentioned above.

Note 1 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

Note 2 : Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently (or at any other Examination of the Commission) on any ground whatsoever.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(b) above, shall be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department/office, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting the application.

(ii) A candidate who, after submitting his application to his department is transferred to other department/office will be eligible to compete under departmental age concession for the post(s), for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application, duly recommended, has been forwarded by his parent Department.

7. A candidate must have—

(a) Master's degree in Geology or Applied Geology or Marine Geology from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India

or other educational Institutes established by an act or Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or

(b) Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad; or

(c) Master's degree in Mineral Exploration from a recognised University (for posts in the Geological Survey of India only); or

(d) Master's degree in Hydrogeology from a recognised University (for posts in the Central Ground Water Board only).

Note I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for this examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce proof of having passed the requisite qualifying examination alongwith the Detailed Application Form which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the result of the written part of the examination.

Note II.—In exceptional cases the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note III.—A candidate who is otherwise eligible but who has taken a degree from a foreign University which is not recognised by Government may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

9. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily rated employees, or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case of a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/ appearing at the examination, their application will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

10. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate for the examination and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission, *viz.* Written Examination and Interview Test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination or Interview Test, it is found that they do not fulfil any of eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

11. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) being in possession of or using mobile phone, paper or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination; or

(xii) violating any of the instructions issued to the candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xiii) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable.

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them: and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf: and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or Other Backward Classes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

14.(1) After the interview the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate. Thereafter, the Commission shall, for the purpose of recommending candidates against unreserved vacancies, fix a qualifying mark (hereinafter referred to as general qualifying standard) with reference to the number of unreserved vacancies to the filled up on the basis of the examination. For the purpose of recommending reserved category candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes against reserved vacancies, the Commission may relax the general qualifying standard with reference to number of reserved vacancies to be filled up in each of these categories on the basis of the examination.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who have not availed themselves of any of the concessions or relaxations in the eligibility or the selection criteria, at any stage of the examination and who after taking into account the general qualifying standards are found fit for recommendations by the Commission shall not be recommended against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(2) While making service allocation, the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Backward Classes recommended against unreserved vacancies may be adjusted against reserved vacancies by the Government if by this process they get a service of higher choice in the order of their preference.

(3) The Commission may further lower the qualifying standards to take care of any shortfall of candidates for appointment against unreserved vacancies and any surplus of candidates against reserved vacancies arising out of the provisions of this rule, the Commission may make the recommendations in the manner prescribed in sub-rules (4) and (5).

(4) while recommending the candidates, the Commission shall, in the first instance, take into account the total number of vacancies in all categories. This total number of recommended candidates shall be reduced by the number of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes who acquire the merit at or above the fixed general qualifying standard without availing themselves of any concession or relaxation in the eligibility or selection criteria in terms of the proviso sub-rule (1). Along with this list of recommended candidates, the Commission shall also declare a consolidated reserve list of candidates, which will include candidates from general and reserved categories ranking in order of merit below the last recommended candidate under each category. The number of candidates in each of these categories will be equal to the number of reserved category candidates who were included in the first list without availing of any relaxation or concession in eligibility or selection criteria as per proviso to sub-rule (1). Amongst the reserved categories, the number of candidates from each of the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe and Other Backward Class categories in the reserve list will be equal to the respective number of vacancies reduced initially in each category.

(5) The candidates recommended in terms of the provision of sub-rule (4), shall be allocated by the Government to the services and where certain vacancies still remain to be filled up, the Government may forward a requisition to the Commission requesting it to recommend, in order of Merit, from the reserve list, the same number of candidates as requisitioned for the purpose of filling up the unfilled vacancies in each category.

15. The prescribed qualifying standards will be relaxable at the discretion of the Commission at all the stages of examination in favour of physically handicapped candidates in order to fill up the vacancies reserved for them. In case, however, the physically handicapped candidates get selected on their own merit in the requisite number at the qualifying standards fixed by the Commission for General, SC, ST and OBC category candidates, extra physically disabled candidates i.e. more than the number of vacancies reserved for them, will not be recommended by the Commission on the relaxed standards.

16. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

17. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the post.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. The candidates who are declared finally successful on the basis of this examination, may be required to undergo the medical examination to ascertain their physical fitness for the post or otherwise. The details of the medical examination are given in the Appendix II to these Rules. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 (Rupees sixteen only) to the Medical Board concerned at the time of the medical Examination.

Note:—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment in gazetted posts and of the standards required are given in Appendix II, for the disable Ex-Defence Services personnel, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

19. For being considered against the vacancies reserved for them, the physically disabled persons should have disability of Forty per cent (40%) or more. However, such candidates shall be required to meet one or more of the following physical requirements/abilities which may be necessary for performing the duties in the concerned Services/Posts:—

CODE		PHYSICAL REQUIREMENTS
F	1.	Work performed by manipulating (with Fingers)
PP	2.	Work performed by pulling & pushing
L	3.	Work performed by lifting
KC	4.	Worked performed by kneeling and Crouching
B	5.	Work performed by bending
S	6.	Work performed by sitting (on bench or chair)
ST	7.	Work performed by standing
W	8.	Work performed by walking
SE	9.	Work performed by seeing
H	10.	Work performed by hearing/speaking
RW	11.	Work performed by reading and writing.

The functional classification in their case shall be one or more of the following, consistent with the requirements of the concerned Services Posts—

FUNCTIONAL CLASSIFICATION

CODE		FUNCTIONS	
BL	1.	both legs affected but not arms.	
BA	2.	both arms affected—	a. impaired reach b. weakness of grip
BLA	3.	both legs and both arms affected	
OL	4.	one leg affected (R or L)	a. impaired reach b. weakness of grip c. ataxic
QA	5.	one arm affected (R or L)	—do—
BH	6.	stiff back and hips (cannot sit or stoop)	
MW	7.	muscular weakness and limited physical endurance.	
B	8.	the blind	
PB	9.	partially blind	
D	10.	the deaf	
PD	11.	partially deaf	

20. No. Person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

21. Brief particulars relating to the posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

C.K. RAWAT
Under Secretary

APPENDIX-I

1. The examination shall be conducted according to the following plan:—

Part I—Written examination in the subjects as set out in para 2 below.

Part II—Interview for personality Test of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 200 marks.

2. The following will be the subjects for the written examination:—

Subject	Duration	Maximum Marks.
1	2	3
General English	2 hrs.	100
Geology Paper I	3 hrs.	200
Geology Paper II	3 hrs.	200
Geology Paper III	3 hrs.	200
Hydrogeology	3 hrs.	200

Note:—Candidates competing for posts under both category 1 and category II will be required to offer all the five subjects mentioned above. Candidates competing for posts under category I only will be required to offer subjects at (1) to (4) above and candidates competing for posts under catergory II only will be required to offer subject at (1) to (3) and (5) above.

3. THE EXAMINATION IN ALL THE SUBJECTS WILL BE OF CONVENTIONAL (ESSAY) TYPE.

4. All Question Papers must be answered in English. The Question Papers will be set in English only.

5. The standard and syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

6. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

7. The Commission have discrection to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

8. If a candidate's handwriting is not easily legible, deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

11. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of Weights and Measures only will be set.

12. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

13. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for answering papers in this examination. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

14. Interview for personality Test : The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview will be to assess his suitability for the posts, for which he has competed. Special attention will be paid in the personality Test to assessing the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy powers of practical application, integrity of character and aptitude for adapting themselves to the field life.

SCHEDULE

STANDARD AND SYLLABUS

The standard of the paper in General English will be such as may be expected of a science graduate. The papers on geological subjects will be approximately of the M.Sc. degree standard of and Indian University and questions will generally be set to test the candidate's grasp of the fundamentals in each subject.

There will be no practical examination in any of the subjects.

GENERAL ENGLISH

Candidates will be required to write a Short Essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words.

GEOLOGY PAPER I

Section A : Geomorphology and Remote Sensing

Basic principles, Weathering and soils, Mass wasting, Influence of climate on process. Concept of erosion cycles. Geomorphology of fluvial tracts, arid zones, coastal regions, 'Karst' landscapes and glaciated ranges. Geomorphic mapping, slope analysis and drainage basin analysis. Applications of geomorphology in mineral prospecting, civil engineering, hydrology and environmental studies, Topographical maps, Geomorphology of India.

Concepts and principles of aerial photography and photogrammetry, satellite remote sensing—data products and their interpretation. Digital image processing. Remote sensing in landform and land use mapping, structural mapping, hydrogeological studies and mineral exploration. Global and Indian Space Missions. Geographic Information System (GIS)—principles and applications.

Section B : Structural Geology

Principles of geological mapping and map reading, projection diagrams, Stress-strain relationships of elastic, plastic and viscous materials. Measurement of strain in deformed rocks. Behaviour of minerals and rocks under deformation conditions. Structural analysis of folds, cleavages, lineations. Joints and faults. Superposed deformation. Mechanism of folding and faulting. Time-relationship between crystallization and deformation. Unconformities and basement-cover relations. Structural behaviour of igneous rocks, diapirs and salt domes. Introduction to petrofabrics.

Section C : Geotectonics

Earth and the solar system. Meteorites and other extra-terrestrial materials, Planetary evolution of the earth and its internal structure. Heterogeneity of the earth's crust. Major tectonic features of the Oceanic and Continental crust. Continental drift—geological and geophysical evidence, mechanics, objections, present status. Gravity and magnetic anomalies at Mid-ocean ridges, deep sea trenches, continental shield areas and mountain chains. Palaeomagnetism, Seafloor spreading and Plate Tectonics. Island arcs, Oceanic islands and volcanic arcs, Isostasy, orogeny and epeirogeny, seismic belts of the earth. Seismicity and Plate movements. Geodynamics of the Indian plate.

Section D : Stratigraphy

Nomenclature and the modern stratigraphic code. Radioisotopes and measuring geological time. Geological time-scale, Stratigraphic procedures of correlation of unfossiliferous rocks. Precambrian stratigraphy of India. Stratigraphy of the Palaeozoic. Mesozoic and Cenozoic formations of India, Gondwana system and Gondwanaland, Rise of the Himalaya and evolution of Siwalik basin, Deccan Volcanics. Quaternary stratigraphy, Rock record, palaeoclimates and palaeogeography.

Section E : Palaeontology

Fossil record and geological time-scale. Morphology and time-ranges of fossil groups. Evolutionary changes in molluscs and mammals in geological time. Principles of evolution. Use of species and genera of foraminifera and echinodermata in biostratigraphic correlation. Siwalik vertebrate fauna and Gondwana flora, evidence of life in Precambrian time, different microfossil groups and their distribution in India.

GEOLOGY PAPER II

Section A : Mineralogy

Physical, chemical and crystallographic characteristics of common rock forming silicate mineral groups. Structural classification of silicates. Common minerals of igneous and metamorphic rocks. Minerals of the carbonate, phosphate, sulphide and halide groups.

Optical properties of common rock forming silicate minerals, uniaxial and biaxial minerals. Extinction angles, pleochrosim, birefringence of minerals and their relation with mineral composition. Twinned crystals. Dispersion the U-stage.

Section B : Igneous and Metamorphic Petrology

Forms, textures and structures of igneous rocks, Silicate melt equilibria, binary and ternary phase diagrams, Petrology and geotectonic evolution of granites, basalts, andesites and alkanine rocks. Petrology of gabbros, kimberlites anorthosites and carbonatites. Origin of primary basic magmas.

Textures and structures of metamorphic rocks. Regional and contact metamorphism of pelitic and impure calcareous rocks. Mineral assemblages and P/T conditions. Experimental and thermodynamic appraisal of metamorphic reactions. Characteristics of different grades and facies of metamorphism, Metasomatism and granitization, Migmatites. Plate tectonics and metamorphic zones. Paired metamorphic belts.

Section C : Sedimentology

Provenance and diagenesis of sediments. Sedimentary textures, Framework matrix and cement of terrigenous sediments. Definition, measurement and interpretation of grain size. Elements of hydraulics, Primary structure, palaeocurrent analysis. Biogenic and chemical sedimentary structures. Sedimentary environment and facies. Facies modelling for marine, non-marine and mixed sediments. Tectonics and sedimentation. Classification and definition of sedimentary basins, Sedimentary basins of Inida. Cyclic sediments. Seismic and sequence stratigraphy. Purpose and scope of basin analysis. Structure contours and isopach maps.

Section D : Geochemistry

Earth in relation to the solar system and universe, cosmic abundance of elements. composition of the planets and meteorites. Structure and composition of earth and distribution of elements. Trace elements. Elementary crystal chemistry and thermodynamics. Introduction to isotope geochemistry. Geochemistry of hydrosphere, biosphere and atmosphere. Geochemical cycle and principles of geochemical prospecting.

Section E : Environmental Geology

Concepts and principles. Natural hazards—Preventive/ Precautionary measures—floods, landslides, earthquakes, river and coastal erosion. Impact assessment of anthropogenic activities such as urbanization, open cast mining and quarring, river-valley projects disposal of industrial and radio-active waste, excess withdrawal of ground water, use of fertilizers, dumping of ores, mine waste and fly-ash. Organic and inorganic contamination of ground water and their re-medicial measures, soil degradation and remedial measures. Environment protection—legislative measures in India.

GEOLOGY PAPER III

Section A : Indian mineral deposits and mineral economics

Occurrence and distribution in India of metalliferous deposits—base metals, iron, manganese, aluminium, chromium, nickel, gold, silver, molybdenum. Indian deposits of non-metals—mica, asbestos, barytes, gypsum, graphite, apatite and beryl. Gemstones, refractory minerals, abrasives and minerals used in glass, fertilizer, paint, ceramic and cement industries. Building stones, Phosphorite deposits, Placer deposits, rare earth minerals.

Strategic, critical and essential minerals. India's status in mineral production. Changing patterns of mineral consumption, National Mineral Policy. Mineral Concession Rules. Marine mineral resources and Law of Sea.

Section B : Ore genesis

Ore deposits and ore minerals. Magmatic processes of mineralisation. Porphyry Skarn and hydrothermal mineralisation. Fluid inclusion studies. Mineralisation associated with—(i) ultramafic, mafic and acidic rocks, (ii) greenstone belts, (iii) komatites, anorthosites and kimberlites and (iv) submarine volcanism. Magma-related mineralisation through geological time. Stratiform and stratabound ores. Ores and metamorphism—cause and effect relations.

Section C : Mineral exploration

Methods of surface and subsurface exploration, prospecting for economic minerals—drilling, sampling and assaying. Geophysical techniques—gravity, electrical, magnetic, airbone and seismic. Geomorphological and remote sensing techniques. Geobotanical and geochemical methods. Borehole logging and surveys for deviation.

Section D : Geology of fuels

Definition, origin of coal. Stratigraphy of coal measures. Fundamentals of coal petrology, peat, lignite, bituminous and anthracite coal. Microscopic constituents of coal. Industrial application of coal petrology. Indian coal deposits, diagenesis of organic materials.

Origin, migration and entrapment of natural hydrocarbons. Characters of source and reservoir rocks. Structural, stratigraphic and mixed traps. Techniques of exploration. Geographical and geological distributions of onshore and offshore petroliferous basins of India.

Mineralogy and geochemistry of radioactive minerals. Instrumental techniques of detection and measurement of radioactivity. Radioactive methods for prospecting and assaying of mineral deposits. Distribution of radioactive minerals in India. Radioactive methods in petroleum exploration—well logging techniques. Nuclear waste disposal—geological constraints.

Section E : Engineering Geology

Mechanical properties of rocks and soil. Geological investigations for river valley projects—Dams and reservoirs; tunnels—type, methods and problems. Bridges—types and foundation problems. Shoreline engineering. Landslides—classification, causes, prevention and rehabilitation. Concrete aggregates—sources, alkali-aggregate reaction. Aseismic designing—seismicity in India and earthquake resistant structures. Problems of groundwater in engineering projects. Geotechnical case studies of major projects in India.

HYDROGEOLOGY

Section A : Origin, occurrence and distribution of water.

Origin of water : meteoric, juvenile, magmatic and sea waters. Hydrologic cycle : precipitation, runoff, infiltration and evapotranspiration. Hydrographs, subsurface movement and vertical distribution of groundwater, springs, Classification of aquifers. concepts of drainage basin and groundwater basin. Hydrological properties of rocks—specific yield, specific retention, porosity, hydraulic conductivity, transmissivity, storage coefficient. Water table fluctuations—causative factors, concept of barometric and tidal efficiencies. Water table contour maps. Classification of rocks with respect to their water bearing characteristics. Hydrostratigraphic units. Groundwater provinces of India. Hydrogeology of arid zones of India, wet lands.

Section B : Well hydraulics and well design

Theory of groundwater flow. Darcy's Law and its applications, determination of permeability in laboratory and in field. Types of wells, drilling methods, construction,

design, development and maintenance of wells, specific capacity and its determination. Unconfined, confined steady, unsteady and radial flow conditions. Pumps tests—methods, data analysis and interpretation for hydrogeologic boundaries. Evaluation of aquifer parameters using Teim, Theis, Jacob and Walton methods. Groundwater modelling—numerical and electrical models.

Section C : Groundwater chemistry

Groundwater quality—physical and chemical properties of water, quality criteria for different uses, graphical presentation of water quality data, groundwater quality in different provinces of India—problems of arsenic and fluoride. Saline water intrusion in coastal and other aquifers and its prevention. Radioisotopes in hydrogeological studies. Groundwater contamination.

Section D : Groundwater exploration

Geological—lithological and structural mapping, fracture trace analysis. Hydrological—lithological classification with respect of hydrologic properties. Hydraulic continuity in relation to geologic structures. Location of springs Remote sensing—hydrogeomorphic mapping of the terrain using different images of different satellite missions. lineament mapping. Shallow groundwater potential zone mapping using statellite images. Surface geophysical methods—seismic, gravity, geo-electrical and magnetic. Subsurface geophysical methods—well logging for delineation of aquifers and estimation of water quality.

Section E : Groundwater problems and management

Groundwater problems related to foundation work, mining, canals and tunnels. Problems of over exploitation and groundwater mining. Groundwater development in urban areas and rain water harvesting. Artificial recharge methods. Groundwater problems in arid regions and remediation. Groundwater balance and methods of estimation. Groundwater legislation. Sustainability criteria and managing renewable and nonrenewable groundwater resources.

APPENDIX II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulation are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming upto the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2(a) It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board. For the partially hearing impaired persons only to the extent of posts reserved under physically handicapped category, standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

(b) The medical examination to be conducted shall consist of the entire medical examination which the Medical Board may prescribe for a candidate. The medical examination shall be conducted only in respect of the candidates who have been declared finally successful on the basis of the examination.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates, if there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidates is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :— He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect, without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head-level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his hand. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal place when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hand loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in the centimetres thus 84–89, 86–93.5 etc. In according the measurement's fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.— The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilogram; fraction of half a kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(i) General :—The candidate's eye will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eyelids or continuous structure of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) Visual Acquity :—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests one of the distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidate shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standard for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

Distant		Near Vision	
Better eye	Worst eye	Better eye	Worse eye
6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0.6	0.8

Note : (1) Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed 4.00D. The total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed 4.00D.

Note : (2) Fundus Examination. Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and result recorded.

Note : (3) Colour vision : (i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :

	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour perception
1. Distance between the lamp and candidate	4.9 metres	4.9 metres
2. Size of aperture	1.3mm.	1.3mm.
3. Time of exposure	5 Sec.	5 Sec.

For the post of Geologist (Jr.) Group 'A' concerning Geological Survey of India, and Junior Hydrogeologists/ Assistant Hydrogeologists Concerning Central Ground Water Board, the medical standard in regard to colour perception and all other tests relating to eyes will be of high order.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like edrige green shall be considered quite dependable for testing colour vision while either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the tests both the tests should be employed.

Note (4) : Field of vision—The field of vision shall be tested by the confrontation method. Where such test, gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

Note (5) : Night Blindness—Night blindness need not be tested as a routine but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such a rough test e.g. recording of visual acquity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

Note (6) : (a) Ocular conditions other than visual acquity—Any organic disease or a progressive reactive error which is likely to result in lowering the visual acquity should be considered as a disqualification.

(b) Trachoma—Trachoma unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) Squint—Where the presence of binocular vision is essential squint even if the visual acquity is of a prescribed standard should be considered a disqualification.

(d) One-eyed persons—The employment of one-eyed individuals is not recommended. on

7. Blood Pressure.

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure.

A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15–25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subject over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidates should be

hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied slightly and centrally over it below but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level : they may disappear as pressure falls and re-appear at still lower level. This silent gap may cause error in readings).

8. The urine passed in presence of the examiner, should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria, the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory be considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will issue its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. The exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit till confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist; provided that if, the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid candidate cannot be declared unfit on that accounts, provided he/she has no progressive;

(1) Marked or total deafness in one ear other ear being normal.	Fit for non-technical job if the deafness is upto 30 decible in higher frequency.
(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibles in speech frequencies of 1000 to 4000.
(3) Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present. Temporarily unfit. Under improved Conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation, in both ears should be given a chance by declaring him temporary unfit and then he may be considered under 4 (ii) below.
	(ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.

	(iii) Central perforation in both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with Mastoid cavity subnormal one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear, mastoid cavity-fit for both technical and non-technical jobs.
	(ii) Mastoid cavity of both sides. Unfit for technical jobs—Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 decibles in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently discharging ear operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6) Chronic inflammatory/allergic condition of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal Septum if present with symptoms temporarily unfit.
(7) Chronic Inflammatory conditions of tonsils and or larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and or Larynxs Fit.
	(ii) Hoarseness of voice of severe degree is present then Temporarily Unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(i) Benign tumours Temporarily Unfit.
	(ii) Malignant Tumour Unfit.
(9) Otoscalrosis.	If the hearing is within 30 decibles after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10) Congential defect of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit.
	(ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11) Nasal Poly.	Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication ('well filled teeth will be considered as sound').

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that it is not reptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congential malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution.

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination will be restricted to only such candidates who are declared finally successful at the concerned Geologists' Examination.

The decision of the Chairman of the Central Standing Medical Board (conducting the medical examination of the concerned candidate) about the fitness of the candidate shall be final.

When any defect is found it must be noted in that Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

Note.—Candidate are warned that there is no right of appeal from a Medical Board special or standing appointed to determine the fitness for the above posts. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate otherwise no request for an appeal to a second Medical Board, will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate had already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease constitutional affliction or bodily infirmity unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases if found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the posts of Geologists (Jr.) and Junior Hydrogeologists/Assistant Hydrogeologists are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In cases where a Medical Board considered that a minor appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In case where a Medical Board considered that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board.

There is no objection to a candidate being informed of the Boards' opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been affected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidate who are to be declared temporarily 'Unfit', period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the Warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters).....

2. State your age and birth place.....

3. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribes, etc. whose average height is distinctly lower, Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is "Yes" state the name of the race.

   (b) Have you ever had smallpox intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease lung fainting attacks, rhematism, appendicitis.

   (c) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment.

4. Have you suffered any form of nervousness due to overwork or any other cause?

5. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living their ages and state of health	No. of brothers dead their ages and cause of death	Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living their ages and state of health	No. of sisters dead their ages and cause of death
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Have you been examined by a Medical Board before?

7. If answer to the above is 'Yes' please state that Services/posts you have examined for?

8. Who was the examining authority?

9. When and where was the Medical Board held?

.....

10. Results of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known.....

11. All the above answers are to the best of my knowledge & belief, true and correct and I shall be liable for action under law for any material infirmity in the information furnished by me or suppression of relevant material information. The furnishing of false information or suppression of any factual information would be a disqualification and is likely to render me unfit for employment under the Government. If the fact that false information has been furnished or, that there has been suppression of any factual information comes to notice at any time during my service, my services would be liable to be terminated.

Candidate's Signature
Signed in my presence
Signature of the Chairman of the Board

PROFORMA I

Report of the Medical Board on (Name of candidate) physical examination.

1. General development : Good.....Fair.....Poor.....

Nutrition : Thin.....Average.....Obese.....Height (without shoes).....Weight.....

Any recent change in weight.....

Temperature.....

Girth of Chest :—

(1) (After full inspiration).....

(2) (After full expiration).....

2. Skin : Any abvious disease.....

3. Eyes.....

(1) Any disease.....

(2) Night blindness.....

(3) Defect in colour vision.....

(4) Field of Vision.....

(5) Fundus Examination.....

(6) Visual Acquity.....

(7) Ability for stereoscopic vision.....

Acquity of vision	Naked eye	with glasses	Strength of glasses Sph. eye Axis
Distant Vision			
RE			
LE			
Near Vision			
RE			
LE			
Hypermetropia (Manifest)			
RE			
LE			

4. Ears : Inspection.....Hearing : Right Ear.....Left Ear.....

5. Glands.....Thyroid

6. Condition of teeth

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs?

If yes, explain fully.....

8. Circulation system.....

(a) Heart and organic lesions.....

Rate : Standing.....

After hopping 25 times.....

2 minutes after hopping.....

(b) Blood Pressure :

Systolic.....Diastolic.....

9. Abdomen : Girth.....

Tenderness.....

Hernia.....

(a) Palpable Liver.....Spleen

Kidneys.....Tumours

(b) Haemorrhoids.....Fistula

10. Nervous System : Indications if nervous or mental disabilities.....

11. Loco Motor System : Any abnormality.....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance.....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen.....

(d) Sugar.....

(e) Casts.....

(f) Cells.....

13. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate.....

Note :—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit vide regulation 9.

.....

.....

14. (a) For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit?

.....

.....

(b) Is the candidate fit for FIELD SERVICE?

Note (I) : The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit.....

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporarily unfit on account of .....

Note (II) : The candidate has not undergone chest X-Ray test. In view of this, the above findings are not final and are subject to the report on chest X-Ray test.

Place :

Date :

Signature
Chairman
Member
Member
Seal of the Medical Board

PROFORMA II

Candidate's Statement/Declaration

1. State your Name
(in block letter)

Roll No.

Candidate's Signature
Signed in my presence
Signature of the Chairman of the Board

To be filled-in by the Medical Board

Note : The Board should record their findings under one of the following three categories in respect of chest X-Ray test of the candidate.

Name of the candidate.....

(i) Fit.....

(ii) Unfit on account of.....

(iii) Temporarily unfit on account of.....

Place :

Date :

Signature
Chairman
Member
Member
Seal of the Medical Board

APPENDIX-III

Brief particulars relating to the post for which recruitment is being made through this examination.

1. Geological Survey of India

(1) Geologist (Junior), Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and instructions and to pass such examination and tests as may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed scales of pay in the Geological Survey of India :

(i) Geologist (Junior) (Junior Time Scale)—Rs. 8,000-275-13,500/-.

(ii) Geologist (Senior) (Senior Time Scale)—Rs. 10,000-325-15,200/-.

(iii) Director (Geology)—Rs. 12,000-375-16,500/-.

(iv) Director (Geol.) (Non-Functional Selection Grade)—Rs. 14,300-400-18,300/-.

(v) Dy. Director General (Geology)—Rs. 18,400-500-22,400/-.

(vi) Sr. Dy. Director General (Operation)—Rs. 22,400-525-24,500/-.

(vii) Director General—Rs. 26,000/- (fixed).

(d) Promotions to the higher grade of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) All officers of Geological Survey of India are liable for service in any part of India or outside India.

2. Central Ground Water Board

(1) Scientist 'B' (Jr. Hg.), Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scales of pay in the Central Ground Water Board :—

(i) Scientist 'B' (Jr. Hg.)—Rs. 8,000-275-13,500/-.

(ii) Scientist 'C' (Sr. Hg.)—Rs. 10,000-325-15,200/-.

(iii) Scientist 'D'—Rs. 12,000-375-16,500/-.

(iv) Regional Director—Rs. 14,300-400-18,300/-

(v) Member—Rs. 18,400-500-22,400/-.

(vi) Chairman—Rs. 22,400-525-24,500/-.

(c) Promotions to the highest grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pensions are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) All Officers of Central Ground Water Board are liable for services in any part of India or outside India.

(2) Assistant Hydrogeologist, Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) prescribed scale of pay—Rs. 7,500-250-12,000/-.

(c) Recruitment to the cadre of Scientist 'B' Junior Hydrogeologist (Group A) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination and partly through D.P.C. by promotions from the next lower grade of Assistant Hydrogeologist of the Central Ground Water Board in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by the Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pensions are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Hydrogeologist are liable for Service anywhere in India or outside India.

C. K. RAWAT
Under Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 23rd May 2008

Subject : Amendment to the Resolution dated 17.10.2007 regarding Appointment of a Committee to review the functioning of Indian Institutes of Management.

No. 8-15/2007-TS. V.—Para 4 of this Ministry's Resolution of even number dated 17th October, 2007 regarding appointment of a Committee to review the functioning of Indian Institutes of Management (IIMs) is amended to the extent that the Committee will now submit its report to the Government within nine months from the date of issue of the Resolution dated 17.10.2007 instead of six months.

ORDER

Ordered that a copy of the Amendment be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Amendment be forwarded to all the Ministries/Departments of the Government of India, all the State Governments/Union Territories' Administration, Universities Institution and Organizations of the Ministry of Human Resource Development etc. for information.

N. K. SINHA
Joint Secy.

New Delhi, the 28th May 2008

No. F. 9-9/2003-U. 3.—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, a proposal was recevied from J.S.S. Mahavidyapeetha, Mysore, Karnataka seeking grant of status of deemed-to-be-university under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the University Grants Commission has examined the said proposal and vide its communication No. F. 6-17/2004 (CPP-I) dated the 1st January, 2008 has recommended conferment of status of 'deemed-to-be-university' in the name and style of Jagadguru Sri Shivarathreeeswara University (JSSU), Mysore, Karnataka, comprising JSS Medical College, Mysore, JSS Dental College, Mysore, JSS College of Pharmacy, Mysore and JSS College of Pharmacy, Ooty (Tamil Nadu) for a period of 5 years with a periodic review at the end of each year. Later, the UGC has partially modified its earlier resolution and recommended a periodic review after three years in the place of the 'annual' reviews;

4. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the

aforesaid recommendations of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that Jagadguru Sri Shivarathreeswara University (JSSU), Mysore, Karnataka, comprising (i) J.S.S. Medical College, Mysore, (ii) J.S.S. Dental College, Mysore, (iii) J.S.S. College of Pharmacy, Mysore and (iv) J.S.S. College of Pharmacy, Ooty (Tamil Nadu), shall be a deemed-to-be-university for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, with effect from the date on which the aforesaid colleges are disaffiliated from their respective affiliating universities, viz., Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore and the Tamil Nadu Dr. M. G. R. Medical University, Chennai, as the case may be, subject to the conditions that :

(i) The JSS University will be reviewed periodically by the UGC with the help of an Expert Committee before the completion of third and fifth year of the currency of the status. The status shall be confirmed only on the basis of inspection and assessment reports of both of these Expert Review Committees and the recommendations of the UGC thereon;

(ii) The Memorandum of Association (MoA) and Rules of the JSSU should be in accordance and in line with the model MoA & Rules prescribed by the UGC, and is certified so by the UGC;

(iii) The corpus fund deposits of the JSSU should be for longer periods and be irrevocable. The corpus fund shall not be liquidated without the prior consent of the UGC.

J.S.S. College of Pharmacy, Ooty shall function as an off-campus centre of the JSSU.

5. The declaration made in para 4 above is subject to further conditions mentioned at Sr. No. 8 of the endorsement to this Notification;

6. Neither the Government of India nor the University Grants Commission shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to JSS University or its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008